2. आया उक्त आराजी का साबिक के मुकाबले 4 एयर की भी कमी रकबा हाल रेवन्यू रिकार्ड में दर्ज हुई है। वादी की खातेदारी भूमि के दक्षिण पूर्व में ख0न0 1210 गै0मु0 नहर की आराजी सिंचाई विभाग की [illegible] है वादी की आराजी पूर्व पश्चिम 6–7 फिट मुताबिक नजरी नक्शाहल्फं ए बी ई एफ व हल्फ ई.एफ के सी डी 100x50 फिटखण्ड, पश्चिमी दक्षिणी कोने पर अशुद्व रूप से दबा कर कायम कर दिये गये मुताल्लिका रेवन्यू रिकार्ड कराने का वादी हकदार है एवम 27 एयर की खातेदारी की उदघोषणा व रेवन्यू रिकार्ड सीट में कराने का मुश्तहक है।

3. आया वादी साबिक ख0न0 478 रकबा 1बीघा 1 बिस्वा के कब्जे काश्त मुताबिकहाल कब्जे काश्त में उपयोग उपभोग हर कदर बतौर खातेदार करने से विपक्षी गण हल ख0न0 1121 व 1210 के रकबा वादीगण की खातेदारी भूमि से सटे हुये रकबा 4 एयर पर किसी प्रकार की दखलन्दाजी रहनबय अन्तकरण के जरिये स्थाई निषेधाज्ञा विपक्षीगण प्रतिबन्धित है।

4. आया विवादित भूमि ख0न0 1210 का रकबा 4 एयर पर वादी का कोई कब्जा काश्त किसी कदर बढा है तथा जानकारी से 12 वर्ष वादपेश किया गया है जो चलने योग्य नही है।

5. आया वादी ने गै0मु0 नहर की आराजी ख0न0 1210 में अतिक्रमणकर निर्माण कर लिया है व पुख्ता बन्धे का निर्माण करा लिया था जिसको सिंचाई विभाग द्वारा दिनांक 25.05.99 को तुडवा दिये गये है वादी सिंचाई विभाग पाबन्द कराने का हकदार नही है।

6. आया वादीद्वारा वाद पत्र बिना कानूनी नोटिस धारा 80 2 जाप्तादहवानी दिये बिना ही दावा पेश किया है जो चलने योग्य नही है। तनकी कायम की जाकर वादी से साक्ष्य सबूत लिये गये। तनकी न. 1 वादी के पक्ष में तय की जाती है। तनकी न. 2 व 3 वादी के विरूद्व तय की जाती है। तनकी न. 4, 5 व 6 प्रतिवादी के पक्ष में तय की जाती है।

वादी अपने वाद को साक्ष्य सबूतो से यह सिद्व नही कर पाया कि वाद वादी के पक्ष में बखुबी साबित होता हो। अतः वादी का वाद स्वीकार किये जाने योग्य नही है। इसलिये खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय सुनाया गया।

सन्तोष कुमार गोयल
आर.ए.एस
उपजिला कलेक्टर दौसा

उपखण्ड अधिकारी
दौसा (राज.)